संख्या-4/2024/जी-2-218/दस/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषय:- राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों का ऑनलाईन प्रणाली द्वारा रख- रखाव।

महोदय,

आप अवगत है कि समूह 'घ' के अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का रख-रखाव, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि खातों की पासबुक का रख-रखाव संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सामान्य भविष्य निधि खातों को, कोषागारों से प्रति माह प्राप्त होने वाले सामान्य भविष्य निधि शेड्यूल के आधार पर अद्यावधिक किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में लेखा-पर्ची निर्गत की जाती है, जो महालेखाकार की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होती है।

2- सम्प्रति उपरोक्त समस्त प्रक्रिया मैनुअल है, जिसमें मानवीय त्रुटि की संभावना बनी रहती है। कार्यालयों में रक्षित पास-बुक तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा खाताबद्ध आंकड़ों में प्रायः-भिन्नता रहती है तथा कर्मचारियों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवा निवृत्ति के समय, सामान्य भविष्य निधि खातों में अवशेष राशि की पुष्टि में प्राय: काफी विलंब होता है।

3- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले सामान्य भविष्य निधि खातों के रख-रखाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से ऑनलाईन कर दिया जाय जिसमें सेन्ट्रल ट्रेजरी सर्वर के डी०डी०ओ० पोर्टल से सामान्य भविष्य निधि खातों के संव्यवहरणों (Transactions) का डेटा महालेखाकार को ऑनलाईन ट्रांसमिट किया जायेगा। महालेखाकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि खातों का मिलान ऑनलाईन प्रणाली द्वारा किया जायेगा। सेवा काल के दौरान वार्षिक लेखा-पर्ची तथा सेवा निवृत्ति के समय सामान्य भविष्य खातों में उपलब्ध अवशेष धनराशि के 90 प्रतिशत मिलान संबंधी मिलान पत्र तथा शेष 10 प्रतिशत के अंतिम भुगतान संबंधी प्राधिकार पत्र ऑनलाईन प्रणाली द्वारा सृजित कर महालेखाकार द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को डी०डी०ओ० पोर्टल पर, संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को ट्रेजरी एडमिन लॉगिन उपलब्ध होगा। साथ ही इसे कोषवाणी (kosvani.up.nic.in) से संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त ओ०टी०पी० का प्रयोग कर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार कार्यालय एवं आहरण वितरण अधिकारियों के मध्य सामान्य भविष्य निधि संबंधी पत्र व्यवहार भी इस प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा ।

4- सेन्ट्रल ट्रेजरी सर्वर एवं महालेखाकार कार्यालय के इन्टीग्रेशन का कार्य कोषागार निदेशालय एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा एन०आई०सी० के सहयोग से पूर्ण कराया जायेगा ।

5- इस व्यवस्था के सम्यक् क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- सामान्य भविष्य निधि खातों के रख-रखाव की ऑनलाईन प्रणाली माह अगस्त 2024 से पायलट आधार पर क्रियान्वित की जायेगी। पायलट आधार पर क्रियान्वयन की समीक्षा कर ऑनलाईन प्रणाली का अग्रतर विस्तार किया जायेगा। अन्तिम भुगतान व मिलान प्रकरणों के प्रेषण व कार्यवाही के उपरान्त जनित प्राधिकार पत्रों व मिलान पत्रों का आदान-प्रदान ऑनलाईन प्रणाली द्वारा किया जायेगा, जिसके आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (ऑडिट) उ०प० प्रयागराज ।
(3) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्तानुसार समस्त कोषागारों को अपने स्तर से सूचित किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,
अनुराग गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।